



2026:AHC: 171166-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 15342/2026

मधुमिता और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: सव्यसाची राय, सुनील कुमार राय
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता, समर्थ सिन्हा, विजय सिन्हा

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार राय प्रस्तुत करते हैं कि एफ.आई.आर. एक जवाबी कार्रवाई है। घटना 10.05.2026 को हुई थी। वर्तमान एफ.आई.आर. घटना के 20 दिन बाद दर्ज की गई थी। एफ.आई.आर. में विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रकट नहीं किया गया है। एफ.आई.आर. दुर्भावनाओं से प्रेरित है और इसका उपयोग याचिकाकर्ताओं को प्रथम सूचनादाता के विरुद्ध उनके द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. वापस लेने के लिए विवश करने हेतु किया जा रहा है। अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा दाखिल आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 15961 वर्ष 2026 (श्रीमती प्रियंका गुप्ता और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के रूप में दर्ज रिट याचिका में इस न्यायालय द्वारा पहले एक अंतरिम आदेश प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ताओं को वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है और इसलिए एफ.आई.आर. रद्द किए जाने योग्य है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम दृष्टया न्यायालय के संज्ञान में चोटों का तथ्य नहीं लाया जा सका क्योंकि निर्देश पूर्ण नहीं थे। अब निर्देश पूर्ण हैं।

प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री समर्थ सिन्हा इस स्तर पर प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम सूचनादाता ने घटना के बारे में पुलिस प्राधिकारियों को तत्काल विधिवत सूचित किया था। हालांकि, अभियुक्त व्यक्तियों के प्रभाव के कारण एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई। एफ.आई.आर. में विलंब बहुत ही ठोस कारणों से है जिसके लिए प्रथम सूचनादाता को नुकसान नहीं भुगतने दिया जा सकता है।

विद्वान ए.जी.ए. का तर्क है कि संक्षेप में एफ.आई.आर. में स्थापित अभियोजन का प्रकरण यह है कि याचिकाकर्ताओं को उन मुख्य अपराधियों के रूप में नामित किया गया है, जिन्होंने प्रथम सूचनादाता के पक्ष पर हमला किया और उन्हें जान से मारने के आशय से गंभीर चोटें पहुंचाईं। विवेचना के दौरान एकत्र की गई घायलों की चिकित्सीय रिपोर्ट घायलों के शरीर पर गंभीर चोटें दर्ज करती है। चश्मदीद गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए थे जो विद्वान ए.जी.ए. के पास उपलब्ध थे। विवेचना के दौरान अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य अभियोजन के प्रकरण की पुष्टि करते हैं। विवेचना के दौरान बी.एन.एस.एस. की धारा 110 के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। उपरोक्त तथ्य इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाए गए थे, जब अंतरिम आदेश पारित किया गया था।

विद्वान ए.जी.ए. निर्देशों के आधार पर आगे प्रस्तुत करते हैं कि एफ.आई.आर. के साथ-साथ अभिलेख में मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया अपराधों के किए जाने का खुलासा करती है और इसकी गहन विवेचना की आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अपराध के तत्व प्रकट होते हैं। विवेचना जारी है। इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से विवेचना में बाधा उत्पन्न होगी, साक्ष्य की हानि या लोप होगा और यह **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्प (1) एससीसी 335 और नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2021) 19 एससीसी 401** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के विपरीत होगा।

भजन लाल (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"102. अध्याय XIV के अंतर्गत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और प्रस्तुत किया है, हमने दृष्टांत के रूप में मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां दी हैं, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, यद्यपि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से दिशा-निर्देशित एवं अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के वादों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध गठित नहीं करते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफ.आई.आर. के साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में आरोप, संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, जो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संहिता की धारा 156(1) के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना को न्यायोचित ठहराए।

(3) जहां एफ.आई.आर. या परिवाद में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण नहीं बनाते हैं।

(4) जहां, एफ.आई.आर. में आरोप संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत परिकल्पित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी विवेचना की अनुमति नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(5) जहां एफ.आई.आर. या परिवाद में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और अंतर्निहित रूप से असंभाव्य हैं जिसके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां कार्यवाहियों के संस्थित होने और जारी रहने के लिए संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है) के किसी भी प्रावधान में एक स्पष्ट विधिक रोक अंतर्निहित है और/या जहां व्यथित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने वाला संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहां एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित है और/या जहां कार्यवाही अभियुक्त से बदला लेने के छिपे हुए उद्देश्य से और निजी तथा व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के विचार से दुर्भावनापूर्ण तरीके से संस्थित की गई है।

103. हम इस आशय की चेतावनी भी देते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को अपास्त करने की शक्ति का प्रयोग बहुत संयम से और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में; कि न्यायालय एफ.आई.आर. या परिवाद में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या प्रामाणिकता या अन्यथा के बारे में पूछताछ शुरू करने में न्यायोचित नहीं होगा और यह कि असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी सनक या इच्छा के अनुसार कार्य करने की मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं।"

नीहारिका (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि को निम्नानुसार प्रतिपादित किया:

"33.16. उपरोक्त मापदंड लागू होंगे और/या द.प्र.सं. की धारा 482 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग में रद्द करने वाली याचिका में अंतरिम आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पहलुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। हालांकि, रद्द करने वाली याचिका के लंबित रहने के दौरान विवेचना पर रोक का अंतरिम आदेश सावधानी के साथ पारित किया जा सकता है। ऐसा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अंतरिम आदेश नियमित, आकस्मिक और/या यांत्रिक रूप से पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः, जब विवेचना प्रगति पर हो और तथ्य अस्पष्ट हों और संपूर्ण साक्ष्य/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष न हो, तो उच्च न्यायालय को स्वयं को गिरफ्तार न करने या "कोई दंडात्मक कदम न उठाने" का अंतरिम आदेश पारित करने से रोकना चाहिए और अभियुक्त को सक्षम न्यायालय के समक्ष द.प्र.सं. की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय द.प्र.सं. की धारा 482 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रद्द करने वाली याचिका को खारिज/निस्तारित करते समय, विवेचना के दौरान या विवेचना पूरी होने तक और/या द.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट/आरोप-पत्र दाखिल होने तक, गिरफ्तार न करने और/या "कोई दंडात्मक कदम नहीं" का आदेश पारित नहीं करेगा और ऐसा करने में न्यायोचित नहीं है।"

भजन लाल (उपरोक्त) और नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय इस वाद के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होते हैं और हमें याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से रोकते हैं।

एफ.आई.आर. को रद्द करने के लिए मांगी गई राहत भी तदनुसार उन्हीं कारणों से अस्वीकार की जाती है।

रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत) (न्यायमूर्ति अजय भनोट)

13 अगस्त, 2026

धनंजय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”